



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 पौष, 1942 (श०)

संख्या- 4 राँची, शुक्रवार,

1 जनवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 दिसम्बर, 2020

संख्या-03/मुकदमा-03-03/2017 का. 6243/श्री राधाकृष्ण प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-319/03), सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में W.P.(S) No-4013/2011 राधाकृष्ण प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दि० 18.05.2018 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

9. In view of the facts stated in the foregoing paragraph the writ petition deserves to be allowed with a direction to respondents to consider the case of the petitioner and take decision for grant of notional promotion as expeditiously as possible preferably within a period of 3 months from the date of communication/receipt of copy of this order.

10. With the aforesaid observations and directions, the writ petition stands disposed of.

2. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA संख्या 507/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 10.06.2020 को पारित न्यायादेश में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा LPA को Dismiss कर दिया गया है।

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(S) No- 4013/2011 राधाकृष्ण प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 18.05.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना

संख्या 4708 दिनांक 21.09.2020 के द्वारा श्री राधाकृष्ण प्रसाद, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-319/03) को दिनांक 25.08.2010 के भूतलक्षी प्रभाव से संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की गई।

4. श्री प्रसाद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (PB IV 37400-67000 ग्रेड पे 8700) में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति के फलस्वरूप देय सेवांत लाभों का पुनरीक्षण महालेखाकार झारखण्ड, राँची के पत्रांक PR-5/8002018697/RREV/1600/2020-21/13536,13537,13538 दिनांक 10.10.2020 एवं पत्रांक 577 दिनांक 10.10.2020 द्वारा किया जा चुका है।

5. उल्लेखनीय है कि W.P.(S) No- 4013/2011 में दिनांक 18.05.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन से संबंधित अवमाननावाद संख्या 617/2018 में दिनांक 25.09.2020 तथा 06.11.2020 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री प्रसाद को भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति का वेतन लाभ प्रदान किये जाने का मामला विचारणीय था।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री राधाकृष्ण प्रसाद, झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-319/03), सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त, सिमडेगा को विभागीय अधिसूचना संख्या 4708 दिनांक 21.09.2020 के द्वारा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि (PB IV 37400-67000 ग्रेड पे 8700) में प्रदान की गई वैचारिक प्रोन्नति की तिथि 25.08.2010 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2011 तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि की वेतन अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6 विभागीय संलेख संख्या- 6214 दिनांक 02.12.2020 पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री का दिनांक 03.12.2020 को अनुमोदन प्राप्त है।

7 इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन
सरकार के संयुक्त सचिव।
